न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम अशोकसिंह पुत्र बजरंगसिंह राजपूत निवासी रावणगेट जयपुर

प्रा.पत्र नम्बर 229/2020 GCMS No.2020/00337

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9.11.2021	वकील अप्रार्थी के द्वारा वकालतनामा एवं आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम त्रिसिंझा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 72 रकबा 1.01 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में अन्य खातेदारो के साथ संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण की कार्यवाही नगरपालिका कुचामनसिटी में प्रक्रियाधीन है, परन्तु माननीय न्यायालय में वाद व स्थगन आदेश प्रभावी होने से उक्त भूमि के रूपान्तरण में कार्यवाही बाधित हो रही है, इसलिए कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे ताकि वादग्रस्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपान्तरित की जा सके। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इस शर्त के खारिज की जाती है कि अप्रार्थी शीघ्र ही अपनी उपरोक्त खसरा की भूमि प्राधिकृत अधिकारी के यहॉ से रूपान्तरित करवा ले। प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2022.01.17 11:58:36 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)	